

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2570]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 2015/अग्रहायण 11, 1937

No. 2570]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2015/AGRAHAYANA 11, 1937

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्च शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसंबर, 2015

का.आ. 3251(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 (2005 का 2) की धारा 5 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए डा. बलतेज सिंह मान और डा. (श्रीमती) नाहीद आबिदी को उक्त आयोग के सदस्य के रूप में, उनके क्रमशः जब वह पद ग्रहण करते हैं, की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए नामनिर्दिष्ट करती है।

2. डा. बलतेज सिंह मान और डा. (श्रीमती) नाहीद आबिदी क्रमशः वर्तमान में कोई अन्य पद धारण करते हैं तो पदमुक्त होने का कथन भी देना होगा।

3. डा. बलतेज सिंह मान और डा. (श्रीमती) नाहीद आबिदी का मुख्यालय नई दिल्ली होगा।

[फा. सं. 7-12/2015-एमसी]

बी. के. पांडे, आर्थिक सलाहकार (उच्च शिक्षा)

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Higher Education)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st December, 2015

S.O. 3251(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 3 read with sub-section (1) of Section 5 of the National Commission for Minority Educational Institutions Act, 2004 (2 of 2005), the Central Government hereby nominates Dr. Baltej Singh Mann and Dr. (Smt.) Naheed Abidi as members of the said Commission, for a term of five years from the date on which they respectively assume their office.

2. Dr. Baltej Singh Mann and Dr. (Smt.) Naheed Abidi shall respectively furnish a statement of having relinquished any other office currently held by them.
3. The headquarters of Dr. Baltej Singh Mann and Dr. (Smt.) Naheed Abidi will be at New Delhi.

[F. No. 7-12/2015-MC]

B. K. PANDEY, Economic Adviser (Higher Education)